भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1239

दिनांक 30 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

किसानों के लिए राजसहायता योजना

1239. श्रीमती मालविका देवी:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) डेयरी किसानों को गिर, साहीवाल और राठी गायों जैसी भारतीय मूल की गायों के प्रजनन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) डेयरी किसानों की दी गई कितनी राजसहायता और क्या सुविधाएं दी गई हैं;

(ग) मत्स्यपालन करने वाले किसानों को मात्स्यिकी टैंक बनाने के लिए राजसहायता प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं और राजसहायता योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राजसहायता योजनाओं के अंतर्गत मत्स्यपालन के लिए उच्च तकनीक वाली मशीनें उपलब्ध कराने के संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) पशुपालन और डेयरी विभाग देशी बोवाईन नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाईन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और बोवाईन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करते हुये राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू कर रहा है, जिससे दूध उत्पादन को किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाया सके। राष्ट्रीय गोकुल मिशन से गोपशु और भैंस की देशी नस्लों सहित बोवाईन पशुओं की उच्च उत्पादकता वाली आबादी में वृद्धि हो रही है।

डेयरी किसानों को भारतीय मूल के बोवाईन पशुओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत सब्सिडी और सुविधाओं सहित निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) सेक्स सॉर्टेड वीर्य तकनीक का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: इस घटक के तहत, देश में अन्य बोवाईन नस्लों के साथ-साथ गोपशु की देशी नस्लों के लिए सेक्स सॉर्टेड वीर्य का उत्पादन शुरू किया गया है। 90% सटीकता के साथ बछियां पैदा करने के लिए सेक्स सॉर्टेड वीर्य महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित गर्भावस्था पर किसानों को 750 रुपये या सॉर्टेड वीर्य की लागत का 50% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।

(ii) आईवीएफ का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: इस घटक के तहत, आईवीएफ तकनीक और सेक्स सॉर्टेड वीर्य के साथ कृत्रिम गर्भाधान का लाभ उठाते हुए डेयरी किसानों के लिए बछियां पैदा की जा रही हैं। आईवीएफ, बोवाईन आबादी के तेजी से आनुवंशिक उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। जो काम 7 पीढ़ियों (गाय और भैंस के मामले में 21 साल) में होता है, उसे आईवीएफ के माध्यम से 1 पीढ़ी (गाय और भैंस के मामले में 3 साल) में किया जा सकता है। इस तकनीक में प्रति ब्यांत 4000 किलोग्राम दूध उत्पादन करने वाली आनुवांशिक क्षमता की केवल बछिया पैदा करके किसानों की आय बढ़ाने की बहुत संभावना है, जिससे किसानों की आय कई गुना बढ़ जाती है। किसानों को प्रति सुनिश्चित गर्भावस्था 5000 रुपये की दर से सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।

(iii) अन्य बोवाईन नस्लों सहित देशी नस्लों के गोपशुओं के उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों के वीर्य का उपयोग करके बोवाईन पशुओं के बीच कृत्रिम गर्भाधान कवरेज का विस्तार करने के लिए राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान (एआई) कार्यक्रम का कार्यान्वयन। कार्यक्रम के तहत किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं।

(iv) गोपशु की देशी नस्लों जैसे गिर, साहीवाल, थारपारकर, कांकरेज, हरियाना, राठी और भैंस की देशी नस्लों जैसे मुर्रा, मेहसाणा, जाफराबादी, पंढारपुरी, नीली रावी के सांडों सहित उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों को पैदा करने के लिए संतति परीक्षण और नस्ल चयन का कार्यान्वयन। इन कार्यक्रमों के तहत पैदा किए गए उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों को देशी बोवाईन नस्लों की गुणवत्ता वाली वीर्य खुराकों के उत्पादन के लिए वीर्य स्टेशनों को उपलब्ध कराया गया है।

(v) राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के घटकों में से एक, हब और स्पोक मॉडल पर नस्ल वृद्धि फार्म की स्थापना को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, पात्र उद्यमियों (व्यक्तिगत / एसएचजी / एफसीओ / एफपीओ / जेएलजी और धारा 8 कंपनियां) के लिए 50% पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध है। नस्ल वृद्धि फार्म की स्थापना के अंतर्गत सहायता प्राप्त उद्यमी पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत ब्याज सबवेंशन के लिए भी पात्र हैं।

डेयरी किसानों को निम्नलिखित योजनाओं के तहत भी सब्सिडी और ब्याज सबवेंशन उपलब्ध कराई जाती है:

(i) सरकार ने डेयरी किसानों सहित पशुपालन करने वाले किसानों की कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए केसीसी सुविधा का विस्तार किया है, जिसमें किसान या तो व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह जिनमें स्वामित्व वाले/किराए पर/पट्टे पर शेड वाले किरायेदार किसान शामिल हैं, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ii) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) - इस योजना के तहत, एएचआईडीएफ के तहत ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को 3% ब्याज सबवेंशन उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) और (घ) मत्स्यपालन विभाग, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 5 साल की अवधि के लिए मत्स्यपालन क्षेत्र में 20050 करोड़ रुपए के अब तक के सबसे अधिक निवेश से भारत में मत्स्यपालन क्षेत्र के सतत और उत्तरदायी विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के विजन से "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)" नामक अग्रणी योजना लागू कर रहा है। पीएमएमएसवाई का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ मीठे पानी, लवणीय, खारे पानी और बायोफ्लोक जलकृषि के लिए तालाबों और टैंकों की स्थापना हेतु सब्सिडी प्रदान करके मछली उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। इसमें सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 40% सब्सिडी प्रदान की जाती है, जबकि एससी/एसटी/महिला लाभार्थियों को 60% सब्सिडी प्रदान की जाती है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पिछले चार वर्षों (वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24) और चालू वित्तीय वर्ष (वर्ष 2024-25) के दौरान, पीएमएमएसवाई के तहत 29964 हेक्टेयर मीठे पानी, लवणीय, खारे पानी और बायो-फ्लोक तालाबों के निर्माण के लिए जिसमें तालाब निर्माण के लिए एरेटर (Aeretors) जैसी इनपुट सहायता प्रदान करने के लिए, 23 ब्रूड बैंक, 810 फिनफिश और स्कैम्पी हैचरी और 11995 पुनः संचरण जलकृषि प्रणाली (आरएएस) टैंक और 4013 बायो-फ्लोक कल्चर टैंक की स्थापना जैसे उच्च घनत्व वाले जलीय कृषि कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान की गई है, 5120 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को अनुमोदित किया है।

पीएमएमएसवाई अन्य बातों के साथ-साथ मछली पकड़ने की विभिन्न तकनीकों, जलकृषि और पोस्ट-हार्वेस्ट कार्यकलापों के लिए विभिन्न हितधारकों, खासकर मछुआरों, मत्स्यपालकों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं, उद्यमियों, अधिकारियों, मत्स्य सहकारी समितियों और मछली किसान उत्पादक संगठनों के सदस्यों के प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रमों और प्रदर्शन दौरों के माध्यम से प्रशिक्षण, कौशल विकास, कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान देता है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), अन्य संगठनों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्यपालन विभागों के माध्यम से प्रशिक्षण, जागरूकता, प्रदर्शन और क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

*****